न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)
दिनांक 5.4.2021

मि.न. 26 / 2021

सरकार बना दयाराम वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 221 / 55.06है0 किस्म चारागाह में से 2.50 है भूमि पर दयाराम , महेश , राजेन्द्र पुत्र बंशीधर जाति गुर्जर निवासी मलपुरा ने जोत की जाकर अतिक्रमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ना ही कोई जबाब पेश किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायलान का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायलान दयाराम ,मेहश , राजेन्द्र पुत्र बंशीधर जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मलपुरा के ख0 न0221 / 55.06है0 किस्म चारागाह में से 2.50 है पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात से भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 10रू. का पचास गुणा 500रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

5.4.2021

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)